

सं० सं० 14 / एम 11-4 / 15
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डा. राजधारी रंजन
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक
रविन्द्र नाथ टैगोर अन्तराष्ट्रीय हृदय विज्ञान संस्थान,
मुकुन्दपुर, कोलकत्ता 700099

पटना, दिनांक.....

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 1.7.15 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	मो० अनवर अंसारी पिता-जहीरउद्दीन ग्राम-नगड़ी पोस्ट+थाना-चकाई जिला-जमुई	हृदय	₹ 1,30,000 /-(एक लाख तीस हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 1,30,000 /-

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,30,000 /-(एक लाख तीस हजार) का क्रास चेक सं०.....
850178..... मूल रूप में संलग्न है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह० / -

(डा. राजधारी रंजन)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक - 841 (14)

पटना, दिनांक- 13-7-15

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

13-7-15

सं० सं० 14/एम 11-4/15
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार,पटना

प्रेषक

डा० राजधारी रंजन
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

निदेशक,
संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान
राय बरेली रोड, लखनऊ, -226014

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।
महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 1.7.15 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	सत्येन्द्र प्रसाद सोनी पिता-गंगा प्रसाद सोनी ग्राम+पो०+थाना-ओबरा जिला-औरंगाबाद सी.आरनं०-2015288921	गुर्दा रोग	₹ 50,000 /-(पचास हजार) स्वीकृत।
2	राजीव कुमार पिता-मनोज महतो ग्राम-तीयाय पो०-चेबाड़ा, थाना-करंडे जिला-शेखपुरा सी.आर नं०-2015220776	ट्युमर रोग सर्जरी	₹ 50,000 /-(पचास हजार) स्वीकृत।
3	रानी देवी पति-रविन्द्र सिंह ग्राम-रामदिरी नकटी पोस्ट-रामदिरी थाना-मटीहानी जिला-बेगुसराय सी.आर नं०-2013408692	कैंसर रोग	₹ 25,000 /-(पच्चीस हजार) स्वीकृत।
4	मनोहर शाही पिता-हरिशंकर शाही ग्राम-अहिरवलीया पोस्ट-लगुनाहा थाना-चोतरवा, जिला-प० चम्पारण सी.आर नं०-2015 210386	ब्रेन ट्युमर रोग	₹ 25,000 /-(पच्चीस हजार) स्वीकृत।
5	शिवचन्द्र यादव पिता-स्व. गया यादव ग्राम-पो०-परसा थाना मझौलीया जिला-प० चम्पारण सी.आर नं०-2215324822	हृदय रोग	₹ 85,000 /-(पचासी हजार) स्वीकृत।

6	ओम प्रकाश सिंह पिता-तारकेश्वर सिंह ग्राम-भगवतपुर पो0+थाना-चौदी जिला-भोजपुर सी.आर नं0-2014770462	गुर्दा रोग	₹ 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) स्वीकृत।
7	प्रमोद कुमार पिता-स्व. किशोरी प्रसाद ग्राम-पो0-बेरथु थाना-कराय पर सुराय जिला-नालंदा सी.आर नं0-2015380058	हृदय रोग	₹ 91,000/- (एकानवे हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 4,76,000/-

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 4,76,000/- (चार लाख छीयहतर हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", चालु खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 850152 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 10095237548 खाता धारक का नाम-"निदेशक, एस0जी0पी0जी0आई0एम0एस0पी0ई0डी0 खाता" खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- भारतीय स्टेट बैंक, शाखा का नाम-एस0जी0पी0जी0आई0, RTGS/IFSC कोड सं0 SBIN0007789 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- गुर्दा प्रत्यारोपण के मामले में स्वीकृत अनुदान राशि का इस्तेमाल सिर्फ गुर्दा रोग की शल्य चिकित्सा के लिए अनुमान्य होगा, न कि चिकित्सोपरान्त दवा/डायलेसिस आदि के लिए।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि की उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डा0 राजधारी रंजन)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि-शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं0 850152 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।।

ह0/-

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक -842 (14)

पटना, दिनांक -13-7-15

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/सभी संबंधित मरीजों /आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

13-7-15

